रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1975/आश्विन 7, 1897

No. 275] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1975/ASVINA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 29th September 1975

G.S.R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixteenth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, after rule 82, the following rule shall be inserted, namely:—

"82-A. **Storage of duty paid matches near the factory premises.**—The Collector of Central Excise may prohibit a licensee to whom licence has been granted under these rules for the manufacture of matches and who has at any time been punished for any offence under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), or the rules made thereunder from storing matches, removed after payment of duty, in any godown, or place, or premises of storage, situated within a distance of two kilometres from the factory of such licensee."

[No. 206/75.]

J. BANERJEE, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 511(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 में, नियम, 82 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात:—

"**82-क कारखाने के परिसर के निकट ऐसी दियासलाइयों का भाण्डारण जिन पर शुल्क संदत्त किया जा चुका है**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, ऐसे अनुज्ञप्ति-धारक को जिसे इन नियमों के अधीन दियासलाइयों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो, और जो किसी समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) — या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दण्ड प्राप्त कर चुका हो, ऐसी दियासलाइयों का भाण्डारण, जिनकी निकासी शुल्क का संदाय करने के पश्चात् की गई है, ऐसी अनुज्ञप्ति के कारखाने से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित किसी गोदाम, या स्थान या भाण्डारण परिसर में करने से प्रतिषेध कर सकता है"।

[सं० 206/75]

जे० बैनर्जी, अतिरिक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975